न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 656 / 2024

अनवान : –

1. प्रगटसिंह पुत्र छोटासिंह जाति जटसिख निवासी जसाना तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. छोटासिंह पुत्र अमरसिंह जाति जटसिख निवासी जसाना तहसील नोहर।
2. गुरूप्रीत पुत्र जगदेव सिंह जाति जटसिख निवासी मोधुवाली तहसील नोहर।
3. बिन्द्र कौर पत्नी स्व0 जगदेव जाति जटसिख निवासी जसाना तहसील नोहर हाल बासवाली तहसील व जिला सिरसा हरियाणा।
4. सन्दीप सिंह उम्र 13 वर्ष पि0 स्व0 जगसीरसिंह जाति जटसिख निवासी मोधुवाली तहसील नोहर जरिये संरक्षिका माता सुखबिन्द्र कौर पत्नी जगसीरसिंह जाति जटसिख निवासी मोधुवाली तहसील नोहर।
5. जसकरण सिंह उम्र 9 वर्ष पि0 स्व0 जगसीरसिंह जाति जटसिख निवासी मोधुवाली तहसील नोहर जरिये संरक्षिका माता सुखबिन्द्र कौर पत्नी जगसीरसिंह जाति जटसिख निवासी मोधुवाली तहसील नोहर।
6. सुखविन्द्र कौर पत्नी स्व0 जगसीरसिंह जाति जटसिख निवासी मोधवुाली तहसील नोहर।
7. गुरूविन्द्र कौर पुत्री छोटासिंह जाति जटसिख निवासी मोधुवाली तहसील नोहर।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री मदनमोहन जोशी जोशी अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक: 07/10/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा 5 ए बारानी तहसील नोहर के खाता स0 61/61 की कुल 5.5660 हैक्ट भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है तथा रोही मौजा 5 बी बारानी तहसील नोहर के खाता स0 271/184 की कुल 1.3030 हैक्ट भूमि एवं रोही मौजा 19 जेएसएन तहसील नोहर के खाता स0 35/26 की कुल 4.0480 हैक्ट भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि तथा रोही मौजा 5 बी बारानी तहसील नोहर के खाता स0 43/45 की कुल 6.3250 हैक्ट भूमि में से 8851/31626 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि संयुक्त हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित सम्पति होने के कारण पैतृक सम्पति है। प्रतिवादी संख्या 1 कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के अकेले के नाम दर्ज हो गई उक्त वाद भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ जन्म जात हक हिस्सा है। वाद भूमि बाबत [illegible] प्रतिवादीगण का बाहमी राजीनामा हो चुका है एवं मुताबिक राजीनामा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज [illegible] में प्रतिवादी संख्या 2 का 1/3 हिस्सा का खातेदार काश्तकार है तथा वादी चक 5 बी बारानी के खाता स0 43/45 व खाता स0 271/184 व चक 19 जेएसएन तहसील नोहर की भूमि में 1/3 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार है एवं चक 5

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.28 16:41:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

ए बारानी के खाता स0 61/61 की कुल 5.5660 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 1/5 हिस्सा अर्थात 88 बिस्वा भूमि में वादी 16.3333 बिस्वा भूमि का खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादीगण संख्या 6 ता 7 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादीगण संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 4 व 5 के पक्ष में हक त्याग कर दिया है। इसलिए मुताबिक बाहमी राजीनामा वादी न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 7 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 8 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम जमाबंदी पेश की जो की शामिल मिसल की गई।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि संयुक्त परिवार की साझा आय से अर्जित वादी की दादालाई कृषि भूमि है जो की वर्तमान में वादी के पिता के नाम दर्ज है उक्त वाद भूमि पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 7 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ जन्म से हक हिस्सा है। प्रतिवादीगण संख्या 6 व 7 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 5 ए बारानी तहसील नोहर के खाता स0 61/61 की कुल 5.5660 हैक्ट भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है तथा रोही मौजा 5 बी बारानी तहसील नोहर के खाता स0 271/184 की कुल 1.3030 हैक्ट भूमि एवं रोही मौजा 19 जेएसएन तहसील नोहर के खाता स0 [illegible]/26 की कुल 4.0480 हैक्ट भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि तथा रोही मौजा 5 [illegible] के खाता स0 43/45 की कुल 6.3250 हैक्ट भूमि में से 8851/31626 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उभयपक्ष ने उक्त वाद भूमि हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक कृषि भूमि होना जाहिर किया है। वादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.28 16:41:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

द्वारा पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी संख्या 1 के अन्य कोई वारिस नही होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 5 बी बारानी तहसील नोहर के खाता स0 271/184 की कुल 1.3030 हैक्ट भूमि एवं रोही मौजा 5 बी बारानी तहसील नोहर के खाता स0 43/45 की कुल 6.3250 हैक्ट भूमि में से 8851/31626 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा 5 ए बारानी तहसील नोहर के खाता स0 61/61 की कुल 5.5660 हैक्ट भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि व रोही मौजा 19 जेएसएन तहसील नोहर के खाता स0 35/26 की कुल 4.0480 हैक्ट भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है में प्रतिवादी संख्या 2 को 1/3 हिस्सा भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा 5 बी बारानी तहसील नोहर के खाता स0 271/184 की कुल 1.3030 हैक्ट भूमि एवं रोही मौजा 5 बी बारानी तहसील नोहर के खाता स0 43/45 की कुल 6.3250 हैक्ट भूमि में से 8851/31626 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा 19 जेएसएन तहसील नोहर के खाता स0 35/26 की कुल 4.0480 हैक्ट भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है वादी को 1/3 हिस्सा भूमि का तथा प्रतिवादीगण संख्या 4 व 5 को संयुक्तत 1/3 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा 5 ए बारानी तहसील नोहर के खाता स0 61/61 की कुल 5.5660 हैक्ट भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि में वादी को 16.3333 बिस्वा भूमि एवं प्रतिवादी संख्या 4 व 5 को संयुक्तत 42.33333 बिस्वा भूमि के बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं उक्त सभी खातो में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/— रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 07/10/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.28 16:41:25 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 656/2024
अनवान : –

1. प्रगटसिंह पुत्र छोटासिंह जाति जटसिख निवासी जसाना तहसील नोहर।

– **वादी**

बनाम्

1. छोटासिंह पुत्र अमरसिंह जाति जटसिख निवासी जसाना तहसील नोहर।
2. गुरूप्रीत पुत्र जगदेव सिंह जाति जटसिख निवासी मोधुवाली तहसील नोहर।
3. बिन्द्र कौर पत्नी स्व0 जगदेव जाति जटसिख निवासी जसाना तहसील नोहर हाल बासवाली तहसील व जिला सिरसा हरियाणा।
4. सन्दीप सिंह उम्र 13 वर्ष पि0 स्व0 जगसीरसिंह जाति जटसिख निवासी मोधुवाली तहसील नोहर जरिये संरक्षिका माता सुखबिन्द्र कौर पत्नी जगसीरसिंह जाति जटसिख निवासी मोधुवाली तहसील नोहर।
5. जसकरण सिंह उम्र 9 वर्ष पि0 स्व0 जगसीरसिंह जाति जटसिख निवासी मोधुवाली तहसील नोहर जरिये संरक्षिका माता सुखबिन्द्र कौर पत्नी जगसीरसिंह जाति जटसिख निवासी मोधुवाली तहसील नोहर।
6. सुखविन्द्र कौर पत्नी स्व0 जगसीरसिंह जाति जटसिख निवासी मोधवुाली तहसील नोहर।
7. गुरूविन्द्र कौर पुत्री छोटासिंह जाति जटसिख निवासी मोधुवाली तहसील नोहर।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 656 सन 2024 निर्णय दिनांक – 07/10/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री मदनमोहन जोशी एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 5 बी बारानी तहसील नोहर के खाता स0 271/184 की कुल 1.3030 हैक्ट भूमि एवं रोही मौजा 5 बी बारानी तहसील नोहर के खाता स0 43/45 की कुल 6.3250 हैक्ट भूमि में से 8851/31626 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा 5 ए बारानी तहसील नोहर के खाता स0 61/61 की कुल 5.5660 हैक्ट भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि व रोही मौजा 19 जेएसएन तहसील नोहर के खाता स0 35/26 की कुल 4.0480 हैक्ट भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है में प्रतिवादी संख्या 2 को 1/3 हिस्सा भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा 5 बी बारानी तहसील नोहर के खाता स0 271/184 की कुल 1.3030 हैक्ट भूमि एवं रोही मौजा 5 बी बारानी तहसील नोहर के खाता स0 43/45 की कुल 6.3250 हैक्ट भूमि में से 8851/31626 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा 19 जेएसएन तहसील नोहर के खाता स0 35/26 की कुल 4.0480 हैक्ट भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है वादी को 1/3 हिस्सा भूमि का तथा प्रतिवादीगण संख्या 4 व 5 को संयुक्तत 1/3 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा 5 ए बारानी तहसील नोहर के खाता स0 61/61 की कुल 5.5660 हैक्ट भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि में वादी को 16.3333 बिस्वा भूमि एवं प्रतिवादी संख्या 4 व 5 को संयुक्तत 42.33333 बिस्वा भूमि के बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं उक्त सभी ख़ातो में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकार [illegible] अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक [illegible] को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.28 16:41:25 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर